सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 16/2016

1. महेन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड हाल आबाद 67 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. नवदीप सिंह पुत्र ईकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

2. ग्राम पंचायत 9 जैड पंचायत समिति श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 13.02.2012

उपस्थित : 1. श्री रामसिंह ढाका, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह संधु, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश **दिनांकः 15.01.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' निगरानीकर्ता ने गैरसायल संख्या 02 को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.1966 को पेश किया कि आबादी भूमि चक 9 जैड के अहाता संख्या 32 सरकारी शुल्क पर मुझे आवंटन किया जावे। जिस पर ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम के सामान्य नियमों की पालना करते हुए दिनांक 25.09.1969 को पट्टा निगरानीकर्ता के हक में जारी किया गया। अहाता सख्या 32 की लम्बाई चौडाई 100X50 फुट =5000 वर्गफुट है। निगरानीकर्ता द्वारा इस अहाता पर अपने कच्चे मकान बनाकर रिहायश करता रहा है। प्रार्थी ने चक 67 एल.एन.पी. में भूमि खरीदने पर अपनी ढाणी बनाकर वही निवास करने लगा तथा समय ज्यों–ज्यों व्यतीत होता गया कच्चे मकान बिना देखभाल के गिरते रहे। मौका पर जगह सफेद खाली है। समस्त ग्रामवासीयान को ज्ञान है कि अहाता संख्या 32 मुझ प्रार्थी का है। मुझ प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि हिस्से, ठेके पर देने जब भी आता है अपना अहाता को सार संभालकर चला जाता है। गैरसायल ने साजिशी तौर पर प्रार्थी के आवंटित भूमि अहाता सख्या 32 पर 40X100 फुट का बिना नम्बरी अहाता सफेद का विनियमितीकरण गैरसायल संख्या 1 नवदीप सिंह के नाम कर दिया है जो प्रारम्भ से ही विधि विपरित है। ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि अहाता बिना सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये विनियमित करने अथवा आवंटन करने की अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत का आदेश विधि विपरीत है शून्य है। गैरसायल सख्या 1 ने अपने हक में हुए दिनांक 13.02.2012 को जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख को उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहा रजिस्ट्री करवाया जबकि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कानून में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी विक्रय विलेख को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया विक्रय विलेख ही प्रारम्भ से शून्य है तो उप पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही कानून में स्वतः ही शून्य है। गैरसायल संख्या 1 नवदीप सिंह ने अपने हक में हुए पंजीबद्व विक्रय विलेख के आधार पर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) श्रीगंगानगर में एक वाद पत्र बाबत चक 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर के अहाता साईज 40X100 फुट के अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 08.12.2015 को पेश किया है जो वर्तमान में पत्रावली अन्तरण होकर अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, श्रीगंगानगर की अदालत में जेरकार है, जो मु.न. 73/2015 के रूप में दर्ज है। साथ ही साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र सीएम 60/2015 भी जैरकार है। इन दोनो में प्रार्थी को उपस्थित होने हेतु दिनांक 24.05.2016 के लिए अदालत से नोटिस प्राप्त हुए। दिनांक 24.05.2016 को प्रार्थी अदालत में अपने अभिभाषक के मार्फत उपस्थित हुआ। अदालत से वाद पत्र व प्रार्थना पत्र की नकले ली तो मुझे मालूम हुआ कि गैरसायल सख्या 01 ने गैरसायल सख्या 02 से साजबाज कर दिनांक 13.02.2012 को प्रार्थी के हक में जारी आवंटन आदेश तथा कब्जा शुदा अहाता पर 40X100 फुट सफेद जगह पर पुराना कब्जा एवं रिहायशी मकान बतलाकर अपने हक में विधि विपरित तरीके से विनियमित करवाया है। आवंटन आदेश दिनांक 13.02.2012 का प्रार्थी को इससे पूर्व कभी कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान से अन्दर मियाद निगरानी दायर की जा रही है। गैर सायल संख्या 02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा जिसके तहत बने हुए नियम 1996 के अनुसार कानूनी प्रकियाओं की पालना किये बगैर विधि विपरित तरीके से गैरसायल संख्या 01 से साजिशी तौर विनियमित आदेश दिनांक 13.02.2012 जारी किया है। प्रार्थी को भारतीय संविधान के तहत आर्टीकल 14 में प्राप्त मौलिक अधिकारों को ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 13.02.2012 ने छिन लिया है। लिहाजा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.02.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता ने गैरसायल संख्या 02 को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.1966 को पेश किया कि आबादी भूमि चक 9 जैड के अहाता संख्या 32 सरकारी शुल्क पर मुझे आवंटन किया जावे। जिस पर ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम के सामान्य नियमों की पालना करते हुए दिनांक 25.09.1969 को पट्टा निगरानीकर्ता के हक में जारी किया गया। अहाता सख्या 32 की लम्बाई चौडाई 100X50 फुट =5000 वर्गफुट है। निगरानीकर्ता द्वारा इस अहाता पर अपने कच्चे मकान बनाकर रिहायश करता रहा है। प्रार्थी ने चक 67 एल.एन.पी. में भूमि खरीदने पर अपनी ढाणी बनाकर वही निवास करने लगा तथा समय ज्यों–ज्यों व्यतीत होता गया कच्चे मकान बिना देखभाल के गिरते रहे। मौका पर जगह सफेद खाली है। समस्त ग्रामवासीयान को ज्ञान है कि अहाता संख्या 32 मुझ प्रार्थी का है। मुझ प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि हिस्से, टेके पर देने जब भी आता है अपना अहाता को सार संभालकर चला जाता है। गैरसायल ने साजिशी तौर पर प्रार्थी के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवंटित भूमि अहाता सख्या 32 पर 40X100 फुट का बिना नम्बरी अहाता सफेद का विनियमितीकरण गैरसायल संख्या 1 नवदीप सिंह के नाम कर दिया है जो प्रारम्भ से ही विधि विपरित है। ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि अहाता बिना सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये विनियमित करने अथवा आवंटन करने की अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत का आदेश विधि विपरीत है शून्य है। गैरसायल सख्या 1 ने अपने हक में हुए दिनांक 13.02.2012 को जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख को उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहा रजिस्ट्री करवाया जबकि कानून में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी विक्रय विलेख को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया विक्रय विलेख ही प्रारम्भ से शून्य है तो उप पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही कानून में स्वतः ही शून्य है। गैरसायल संख्या 1 नवदीप सिंह ने अपने हक में हुए पंजीबद्व विक्रय विलेख के आधार पर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) श्रीगंगानगर में एक वाद पत्र बाबत चक 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर के अहाता साईज 40X100 फुट के अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 08.12.2015 को पेश किया ह गैर सायल संख्या 02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा जिसके तहत बने हुए नियम 1996 के अनुसार कानूनी प्रकियाओं की पालना किये बगैर विधि विपरित तरीके से गैरसायल संख्या 01 से साजिशी तौर विनियमित आदेश दिनांक 13.02.2012 जारी किया है। प्रार्थी को भारतीय संविधान के तहत आर्टीकल 14 में प्राप्त मौलिक अधिकारों को ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 13.02.2012 ने छिन लिया है। लिहाजा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.02.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की है:–

1. आर.जे.टी. 2017(3) पेज– 1995
2. डी.एन.जे.(राज.) 1998 पेज– 560 (राज0 हाईकोर्ट निर्णय)
3. डी.एन.जे.(राज.) 1995 पेज– 458

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत का आदेश 13.02.2012 का है जिसकी निगरानी वर्ष 2016 में की गई है जो मियाद के बाहर है। निगरानीकर्ता करीब 10 वर्षो से चक 67 एल.एन.पी. में निवास कर रहा है। अधिवक्ता गैरनिगरानी कर्ता ने नजीर आर.आर.टी 2015(2) पेज–967 पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित ग्राम पंचायत 9 जैड द्वारा अहाता संख्या 32 मिसल नम्बर 05/66 दिनांक 25.09.1969 का पट्टा निगरानीकर्ता के हक में जारी किया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 05/66 में उक्त पट्टा से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर सरपंच ग्राम पंचायत की मोहर से पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पट्टा की राशि रसीद संख्या 30 दिनांक 30.06.1969 द्वारा जमा हुई है। इसलिए इसकी वैद्यता प्रमाणित होती है। निगरानीकर्ता को आवंटित उक्त अहाता का पट्टा दिनांक 25.09.1969 को जारी किया जा चुका है तो वर्ष 2012 में पुनः उसी अहाता का कथित पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत 9 जैड के द्वारा उपलब्ध कराए रिकॉर्ड में कार्यवाही रजिस्टर (05.08.2011 से 20.06.2012) में दिनांक 13.02.2012 को जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेख के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है एवं 13.02.2012 ग्राम पंचायत का इस आशय का कोई संकल्प भी नहीं है।

उपर्युक्त नजीरों में से नजीर संख्या 01 व 03 हस्तगत प्रकरण में समान प्रकृति के तथ्यों के कारण निम्नलिखित नजीरें चस्पा होती हैः–

नजीर संख्या –01

> Ghewar Chand & Anr. VS State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition N0. 8887/2017
> "पट्टा का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता– पट्टा निरस्त करने हेतु पट्टा का रजिस्ट्रेशन आधार नहीं होगा।"

नजीर सख्या –03

> Dhanraj and Anr. VS Additional Collector[Ganganagar & Ors. D.B. Civil Writ Petition N0. 1545/1979 "आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है– प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई– कोई आपत्तियॉ भी नहीं मॉगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ।"

इस विवादित भूखण्ड में एक दावा माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, श्रीगंगानगर की अदालत में जैरकार है, जो मु.नं. 73/2015 के रूप में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी (गैर निगरानीकर्ता संख्या 01) नवदीप सिंह का अ0 निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना पाया है।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेखीय आलोक में कानूनी प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत 9 जैड द्वारा निगरानी के तहत वर्णित/आक्षेपित गैर निगरानीकर्ता नम्बर 01 को जारी पट्टा विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया / मार्गदर्शक सिद्वांतों की अवहेलना कर जारी किया गया है इसलिए इन्हे बहाल रखा जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन पट्टा सख्या 11 दिनांक 13.02.2012 (अक्रमांकित एवं बिना स्पष्ट हदूदों के विवरण) जो गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 नवदीप सिंह के नाम जारी है, खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/01/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।